

23/4/25

पुत्रावली पेशा हुई। वकील साक्षी एवं साक्षी के अनुपस्थित रहे हैं। वकील साक्षी को एवं साक्षी को शाम 06:00 बजे तक रोक-रूकता उधार झाकाज लगाई गई। किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं और बाही उनका कोई प्रतिक्रिया उपस्थित हुआ है। अतः साक्षी का प्रत्येक पर आवेश 9 नियम 3 CPC के तहत अदम क्षमती, अदम फेरवी के खारिज किया जाता है। पुत्रावली फिसल अंगार होकर मन्वट से कात है।

*[Handwritten signature]*